

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2**  
**संख्या- 8 /2021/182/अस्सी-2-2021-100(9)/2019**  
**लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर 2021**

**अधिसूचना**

अधिसूचना संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के प्रस्तर-6.2.1, प्रस्तर-6.2.2, प्रस्तर-6.2.3.2 एवं प्रस्तर-6.2.3.3 में संशोधन किये जाने हेतु स्तम्भ-1 की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ-2 की व्यवस्था रखते हुए "उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन) 2021" को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

**उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन), 2021**

	<b>स्तम्भ-1</b> <b>वर्तमान व्यवस्था</b>	<b>स्तम्भ-2</b> <b>एतद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था</b>
<b>6.2.1</b>	<p>उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति उत्पादन और उत्पादों के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर केन्द्रित है और क्लस्टर की पहचान उत्पादन, निर्यात में योगदान, निर्यातक के संचालन, प्रचालन की मापनीयता, निर्यात बाजारों के आकार और निर्यात में वृद्धि की क्षमता पर आधारित होगी। निर्यातों को बढ़ाने के लिए पहचान किए गए क्लस्टरों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।</p> <p>इस नीति के अन्तर्गत निर्यात क्लस्टर के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि होनी चाहिए, यह भूमि 20-20 हेक्टेयर की आपस में निरन्तरता में हो, जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्लस्टर सुविधा इकाई द्वारा अनुमोदित किया</p>	<p>उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति उत्पादन और उत्पादों के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर केंद्रित है और क्लस्टर की पहचान उत्पादन, निर्यात में योगदान, निर्यातक के संचालन, प्रचालन की मापनीयता, निर्यात बाजारों के आकार और निर्यात में वृद्धि की क्षमता पर आधारित होगी। निर्यातों को बढ़ाने के लिए पहचान किए गए क्लस्टरों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।</p> <p>इस नीति के अन्तर्गत निर्यात क्लस्टर के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि विकास खण्ड की सीमान्तर्गत होनी चाहिये, जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्लस्टर सुविधा इकाई द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	<p>जायेगा।</p> <p>यह नीति विशेष रूप से अनुलग्नक-1 में वर्णित जिलों में फसलों और उत्पादों की कृषि निर्यात क्षमता की प्राप्ति के उद्देश्य से है। क्लस्टर की सूची का विस्तार और संशोधन जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा सेल की सिफारिश पर राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति द्वारा संशोधित किया जा सकता है और यह समिति इस नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्लस्टर को अंतिम रूप देने के लिए एक शक्ति प्राप्त समिति के रूप में कार्य करेगी।</p>	<p>यह नीति विशेष रूप से अनुलग्नक-1, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2021-1729003/2021, दिनांक 13.8.2021 द्वारा अनुलग्नक-1 (प्रथम संशोधन) से प्रतिस्थापित किया गया है, में वर्णित जिलों में फसलों और उत्पादों की कृषि निर्यात क्षमता की प्राप्ति के उद्देश्य से है। क्लस्टर की सूची का विस्तार और संशोधन जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई की सिफारिश पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार 30प्र0 एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे।</p>
<p><b>6.2.2</b> <b>क्लस्टर के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था</b></p>	<p>नोडल एजेंसी क्लस्टर में उत्पादित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु स्थापित की गयी नई प्रसंस्करण इकाई/पैक हाउस/शीत गृह/राइपेनिंग चैम्बर आदि को निर्यात की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह प्रोत्साहन निर्यात के टर्न ओवर के 10 प्रतिशत अथवा रूपया 25 लाख, जो भी कम हो, निर्यात प्रारम्भ करने के वर्ष से 05 वर्षों तक दिया जायेगा। यह केवल नई इकाइयों, जो क्लस्टरों के पास स्थापित की जायेंगी, को ही देय होगा। इसके लिए उक्त इकाई को क्रय किए गए कृषि उत्पाद को मौलिक अथवा प्रसंस्कृत रूप में न्यूनतम 40</p>	<p>नोडल एजेंसी क्लस्टर में उत्पादित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु स्थापित की गयी नई प्रसंस्करण इकाई/पैक हाउस/शीत गृह/राइपेनिंग चैम्बर आदि को निर्यात की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह प्रोत्साहन निर्यात के टर्न ओवर के 10 प्रतिशत अथवा रूपया 25 लाख, जो भी कम हो, निर्यात प्रारम्भ करने के वर्ष से 05 वर्षों तक दिया जायेगा। यह केवल नई इकाइयों, जो क्लस्टरों के पास स्थापित की जायेंगी, को ही देय होगा। इसके लिए उक्त इकाई को क्रय किए गए कृषि उत्पाद को मौलिक अथवा प्रसंस्कृत रूप में न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्यात करना होगा। यह प्रोत्साहन धनराशि निर्यात दायित्व सिद्ध होने के उपरान्त दी जाएगी। इस संबंध में प्रोत्साहन</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	<p>प्रतिशत निर्यात करना होगा। यह प्रोत्साहन धनराशि निर्यात दायित्व सिद्ध होने के उपरान्त दी जाएगी। इस संबंध में निर्णय राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति द्वारा लिया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए शक्ति प्राप्त समिति के रूप में भी काम करेगी।</p>	<p>राशि का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, 30प्र0शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार 30प्र0 एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे, से कराते हुए भुगतान नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।</p>
<p><b>6.2.3.2</b> <b>कृषि</b> <b>उत्पादों व</b> <b>प्रसंस्कृत</b> <b>वस्तुओं के</b> <b>निर्यात हेतु</b> <b>परिवहन</b> <b>अनुदान:</b></p>	<p>उत्तर प्रदेश समुद्री तट से बहुत दूर स्थित है, जिससे निर्यातकों को समुद्री तट वाले राज्यों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई आती है। वायु मार्ग से निर्यात करने पर बहुत खर्च आता है। उक्त के दृष्टिगत निर्यातकों को परिवहन अनुदान दिया जायेगा। कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर शक्ति प्राप्त समिति (इम्पार्वर्ड कमेटी) के द्वारा उक्त परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/सड़क मार्ग/जल मार्ग) दिया जायेगा।</p> <p>कृषि उत्पादों एवं इनसे प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर परिवहन अनुदान कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के द्वारा ही दिया जायेगा। परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/सड़क मार्ग/जल मार्ग) की दरों का निर्धारण निम्नवत् है:-</p> <p>(क) वायु मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 10 (रूपया दस) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक</p>	<p>उत्तर प्रदेश समुद्री तट से बहुत दूर स्थित है, जिससे निर्यातकों को समुद्री तट वाले राज्यों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई आती है। वायु मार्ग से निर्यात करने पर बहुत खर्च आता है। उक्त के दृष्टिगत निर्यातकों को परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/रेल मार्ग/सड़क मार्ग/जल मार्ग) दिया जायेगा।</p> <p>कृषि उत्पादों एवं इनसे प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर परिवहन अनुदान की प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, 30प्र0शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति, जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, 30प्र0 एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे, से कराते हुए भुगतान नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।</p> <p>परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/रेल मार्ग/सड़क मार्ग/जल मार्ग) की दरों का निर्धारण निम्नवत् है:-</p> <p>(क) वायु मार्ग अथवा जल मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 10 (रूपया दस) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	<p>भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।</p> <p>(ख) जल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 05 (रूपया पाँच) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।</p> <p>परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम रू0 10 लाख प्रति निर्यातक/फर्म को देय होगा।</p> <p>उक्त परिवहन अनुदान मांस एवं चीनी के निर्यात पर देय नहीं होगा।</p> <p>यह परिवहन अनुदान निर्यातक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि उनके द्वारा अन्य किसी स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया है।</p>	<p>25 प्रतिशत, जो भी कम हो (पोर्ट तक उत्पाद पहुँचाने का मार्ग व्यय सहित)।</p> <p>(ख) रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 05 (रूपया पाँच) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।</p> <p>परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम रू0 10 लाख प्रति निर्यातक/फर्म को देय होगा।</p> <p>उक्त परिवहन अनुदान मांस एवं चीनी के निर्यात पर देय नहीं होगा।</p> <p>यह परिवहन अनुदान निर्यातक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि उनके द्वारा अन्य किसी स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया है।</p>
<p><b>6.2.3.3</b> <b>कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट निम्नवत् दी जायेगी:</b></p>	<p>1: किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ/एफपीसी) अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर मण्डी शुल्क शत-प्रतिशत एवं विकास सेस शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी।</p> <p>2: आढ़तियों के माध्यम से खरीद करने पर मण्डी शुल्क की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी परन्तु निर्धारित विकास सेस देय होगा।</p> <p>उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त निर्यात पर</p>	<p>1: किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ/एफपीसी) अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।</p> <p>2: आढ़तियों के माध्यम से खरीद करने पर मण्डी शुल्क व प्रयोक्ता प्रभार की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी परन्तु निर्धारित विकास सेस देय होगा।</p> <p>उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त निर्यात पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	मण्डी शुल्क एवं विकास सेस आदि से छूट मिलेगी, जो सामान्यतः 05 वर्षों तक देय है।	एवं विकास सेस आदि से छूट मिलेगी, जो सामान्यतः 05 वर्षों तक देय है। निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।
--	--	--

2- भविष्य में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति -2019 में यथावश्यक किये जाने वाले संशोधन मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से किये जायेंगे।

डा0 देवेश चतुर्वेदी  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 8 /2021/182 /अस्सी-2-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4-कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश नई दिल्ली।
- 7-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8-निदेशक,कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय,किसान मण्डी भवन,गोमती नगर, लखनऊ।
- 9-निदेशक,राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 किसान मण्डी भवन, गोमती नगर,लखनऊ।
- 10-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 11-गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0सचिवालय।
- 12-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
- 13-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग,लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया 500 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्टकरें।
- 14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह  
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।